ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :—

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बल्ह विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति ब्रहमी देवी	1.4.2013 से 22.1.2006
2.	श्री राजेश कुमार	23.1.2016 से अघतन

सचिव :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री मोहिन्द्र सिंह	1.4.2013 से अघतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6(i)	अनुदानों को उपयोग न करना	8.55
2.	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक व स्टोर का क्रय करना	7.60
3.	9	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई मदों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां व खपत से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना	0.64
4.	10	खाता (ख) के अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.20

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 2.7.2016 से 6.7.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 10/13, 9/14, 11/15 व 2/14, 2/14, 11/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 202, दिनांक 4.7.2016 ग्राम पंचायत बल्ह से अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत बल्ह के पत्रांक संख्या : 9, दिनांक 8.7.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :—

ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :—

ग्राम पंचायत बल्ह के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	16639	30588	47227	23688	23539
2014—15	23539	36323	59862	51182	8680
2015—16	8680	66382	75062	37274.72	37787.28

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत बल्ह के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	371940	4818979	5190919	4772285.70	418633.30
2014–15	418633.30	3258107.85	3676741.15	2980407.15	696334
2015–16	696334	3599950	4296284	3441376	854908

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 के रोकड़ वहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

(i) रोकड़ वही खाता (क) पैरा 4(1) का अन्तशेष = 37787.28

(ii) रोकड़ वही खाता (ख) पैरा 4(2) का अन्तशेष = 854908.00

कुल योग ₹892695.28

<u>अन्तशेष का विवरण :–</u>

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि (₹)
1.	एस0बी0आई0 ऊना	33039616840	618091
2.	–यथोपरि–	33039593717	705
3.	–यथोपरि–	33039628914	2017
4.	–यथोपरि–	33039581441	63070
5.	–यथोपरि–	33039540981	23431.28
6.	–यथोपरि–	33039562348	262
7.	के0सी0सी0वी0 बंगाणा	20034068085	185119
			₹892695.28

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट

प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. (i) अनुदान ₹8.55 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹854908 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

(ii) प्राप्त अनुदान से ₹0.86 लाख का अधिक व्यय :–

सचिव ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व वित्तीय स्थिति के अनुसार एस0डी0पी0 में दिनांक 31.3.2016 को ₹85849 ऋणात्मक दर्शाई गई है, जोकि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन एस0डी0पी0 में अथवा अन्य किसी योजना से एस0डी0पी0 का भुगतान करने के फलस्वरूप हुआ है। अतः उक्त योजना के अन्तर्गत ऋणात्मक दर्शाई गई राशि का औचित्य स्पष्ट करते हुए व इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृहकर के रूप में ₹2880 की कम वसूली :–

(i) पंचायत सचिव बल्ह द्वारा प्रदान की गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** (क) के अनुसार गृहकर के रूप में वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक वसूली गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013–14	शून्य	6500	6500	शून्य	6500
2014–15	6500	6500	13000	शून्य	13000
2015–16	13000	8950	21950	21950	शून्य

उपरोक्त उल्लेखित गृहकर के रूप में वसूली केवल 2015–16 के दौरान ही की गई, जबकि गृहकर की वसूली प्रत्येक वर्ष की जानी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की

जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बल्ह में परिवारों की संख्या वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान 397 थी व प्रत्येक परिवार से गृहकर के रूप में ₹20 प्रति वर्ष की दर से ₹7940 (397x20) वसूले जाने अपेक्षित थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान ₹6500 प्रति वर्ष की दर से गृहकर के रूप में वसूली करने के कारण ₹1440 (₹7940–₹6500) की दर से दो वर्षों हेतु ₹2880 (₹1440x2) की कम वसूली हुई है। कम वसूली बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कम वसूली गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करने उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7.60 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹759807 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई मदों ₹0.64 लाख को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय/प्राप्त किए गए स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने की प्रविष्टियों की जानी अपेक्षित थी। व्यय वाउचरों की जांच करने

पर पाया गया कि परिशिष्ट–"3" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹64190 के स्टॉक स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं किया गया। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए स्टोर (सामान) के किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः स्टॉक/स्टोर को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए।

10. खाता (ख) के ब्याज ₹0.20 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, माह : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है व अनुदानों पर प्राप्त ब्याज ₹20215 को स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित नहीं किया गया। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व निम्नानुसार खाता (ख) से अर्जित ब्याज को खाता (क) स्वयं संसाधनों में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–15	कुल योग (₹)
1.	मनरेगा	2795	134	–	2929
2.	हरियाली	608	–	–	608
3.	हरियाली जनता हिस्सा	5107	6551	5020	16678
	योग	**8510**	**6685**	**5020**	**₹20215**

11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख–रखाव न करना :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(1) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(2) जॉब कार्ड रजिस्टर (B-8)

(3) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(4) सम्पदा रजिस्टर (B-10)

(5) शिकायत रजिस्टर (B-11)

ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही उक्त अभिलेख तैयार किया गया, जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम–2005 के नियमों की अवहेलना है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित थी व धारा 194(सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों पर लागू होती है। आयकर की धारा 194(सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई थी। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक टी0डी0एस0 के रूप में कटौती न की गई राशि गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

13. माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूपये का सामान जैसे कि रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट, ईटें इत्यादि खरीदा गया है, लेकिन माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री उपयोग विवरणी वास्तविक रूप में तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण यह पुष्टि नहीं हो सकती कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामान की खपत हुई है, जोकि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत है। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामान खपत विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

14. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत बल्ह के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95(1)
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	मंग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

16. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष

सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड वहियों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम–4 के अनुरूप रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v)4/2016, खण्ड–1–5164–5167 दिनांकः 27.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना हि0 प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.